

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
आय भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/7082-108 जयपुर, दिनांक 29/06/2017


जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, वित्तीडगढ़, चूरू,
जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर,
पाली, राजसमंद एवं उदयपुर (राज0)।

विषय:— अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:— इस विभाग का परिपत्र क्रमांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/4804-29 दिनांक 01.05.2017 एवं समसंख्यक 5961-86 दिनांक 26.5.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने की समयावधि 30 जून, 2017 तक के लिए निर्धारित की गई थी। गौशालाओं को राहत सहायता की समयावधि **दिनांक 15.07.2017** तक बढ़ायी जाती है। जिन गौशालाओं को राहत सहायता की अवधि बढ़ाई जाने की स्वीकृति आवश्यकतानुसार जारी की जानी है, उनके सम्बन्ध में नवीन स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि को अपने स्तर पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी की जावेगी।

भवदीय

शासन सचिव

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0., जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. निजी सचिव, सम्बन्धित जिलों के प्रभारी सचिव।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।


शासन उप सचिव